International Journal of Fundamental & Applied Research
Website : www.ijfar.org ,(ISSN- 2320-7973 Volume-6+7 Issue 12+1+2, March+April+May'2019 pp.(17–19)

गुर्जर समुदाय की सहकारी समितियों में सहभागिता का उनके आर्थिक स्तर पर प्रभाव का अध्ययन (हरदा जिले के संदर्भ में)

स्मिता मोरछले
शोधार्थी
समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल (म.प्र.)

सार संक्षेप

प्रस्तुत शोध पत्र गुर्जर समुदाय की सहकारी समितियों में सहभागिता का उनके आर्थिक पृष्ठभूमि पर प्रभाव पर आधारित है। सहकारिता का अर्थ है– पारस्परिक सहयोग से कार्य करना। सामूहिक रूप से कार्य कर समूह के सभी सदस्यों को आर्थिक लाभ प्राप्त कराना ही सहकारिता है।

गुर्जर समुदाय में सामूहिक विवाह सम्मेलन व छात्रावास सहकारिता की प्रवृत्ति का ही परिणाम है। 1904 में सहकारी संस्था अधिनियम पारित होने पर तत्कालीन होशंगाबाद जिले में तथा हरदा जिले के सोडलपुर ग्राम में गुर्जर संत कान्हा बाबा सहकारी संस्था का गठन गर्जुर समुदाय के लोगों द्वारा किया गया था। अभी हरदा जिले में 52 कृषि संस्थायें (पैक्स) हैं जिनमें 32 संस्थाओं में गुर्जर समुदाय की भागीदारी है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हरदा जिले के गुर्जर समुदाय की सहकारी कृषि समितियों में सहभागिता है। गुर्जर समुदाय के कृषक भी इन समितियों से आर्थिक लाभ ले रहे हैं।

प्रस्तावना :–

सहकारिता 'सहकार्य शब्द' से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ मिलजुलकर कार्य करना है। अंग्रेजी भाषा के शब्द को–ऑपरेटिव पारस्परिक सहयोग शब्द का घोतक है। एक दूसरे पर विश्वास करके सामूहिक रूप से किसी उद्देश्य को क्रियान्वित करने के लिए उस कार्य को मूर्तरूप देना ही सहकारिता की मूल भावना हैं।[1] सामूहिक रूप से कार्य करके समूह के सदस्यों को आर्थिक लाभ देने के साथ ही समाज को अच्छे संसाधन उपलब्ध कराना सहकारिता का मूल उद्देश्य है। आर्थिक रूप से मजबूत उच्च वर्ग का व्यक्ति अपने आय के स्त्रोतों से लाभ प्राप्त कर सकता है । परन्तु आर्थिक रूप से कमजोर निम्न वर्ग का व्यक्ति लाभ प्राप्त नहीं कर पाता। निम्न वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति अपने आय के स्त्रोतों को इकट्ठा कर अपने आपसी लाभ के लिए मिलजुलकर कार्य कर अपनी कमजोरी को शक्ति में बदल सकते हैं। मध्यप्रदेश में सहकारिता एक आंदोलन का रूप ले चुकी है। सहकारिता धर्म, जाति, लिंग या राजनैतिक सम्बद्धता से हटकर समाज के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए स्वाभाविक आंदोलन है। सहकारी समितियों का गठन मुख्यतः गरीब पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए है । सहकारी समिति के सभी सदस्यों को समिति के सभी कार्यो की पूर्ण जानकारी आवश्यक है। समिति के सभी सदस्यों का समिति में बराबर का अधिकार होता है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960, [2]लोकतांत्रिक साधन के रूप में और स्वंयसेवी तथा पारस्परिक सहायता पर आधारित लोक संस्थाओं के रूप में स्वैच्छिक सहकारी संस्थाओं को संगठित करने और उनका विकास करने और जनता के विशेष रूप से कमजोर वर्गो के शोषण को रोकने और उनके सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम।

गुर्जर समुदाय में सहकारिता :–

गुर्जर समुदाय में सहकार्य की प्रवृत्ति पुराने समय से ही है। इसी प्रवृत्ति ने सामूहिक विवाह परम्परा को जन्म दिया।[3] सर्वप्रथम 09.02.1981 को पहला सामूहिक विवाह सम्मेलन तत्कालीन होशंगाबाद जिले की टिमरनी तहसील के गुर्जर छात्रावास भवन के प्रागंण में श्री महेश कुमार पटवारे बिसौनीकला वालों की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। गुर्जर समुदाय के सामूहिक विवाह सम्मेलन से पहले किसी भी समाज में सामूहिक विवाह की परम्परा नहीं थी। बाद में यह परम्परा चारों और फैल गई । आज लगभग सभी समाज के लोग यहाँ तक की मध्यप्रदेश शासन भी प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित कर रहा है।

हरदा जिले में चार गुर्जर छात्रावास भी गुर्जर समुदाय की सहकारिता की प्रवृत्ति की उपज है। गुर्जर समुदाय की दशा व दिशा सुधारने में सहकारिता से खुले इन छात्रावासों का विशेष योगदान है।

सहकारी समितियाँ :–

लोकतांत्रिक साधन के रूप में पारस्परिक सहायता पर आधारित स्वैच्छिक सहकारी संस्थाओं को संगठित करके विकसित किया गया है। विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों, निम्न आर्थिक स्तर के वर्गो के शोषण को कम करने और उनके सामाजिक व आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर सहकारी समितियाँ गठित की गई हैं। सहकारी समितियाँ के गठन का मुख्य उद्देश्य समुदाय के

Corresponding Author : email :

International Journal of Fundamental & Applied Research
Website : www.ijfar.org ,(ISSN- 2320-7973 Volume-6+7 Issue 12+1+2, March+April+May'2019 pp.(17–19)

विशेष रूप से कमजोर वर्गो को संगठित कर उनके आर्थिक–सामाजिक स्तर के सुदृढ़ करना है। परस्पर सहयोग की भावना से किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप सहकारी समितियों के सदस्य न सिर्फ स्वंय की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हैं, बल्कि एक–दूसरे की आर्थिक उन्नति में सक्रिय योगदान करते हैं । सहकारिता के विकास के लिए मध्यप्रदेश शासन भी निरंतर प्रयासरत है। सहकारिता विभाग सहकारी समितियों की आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन, संरक्षण एवं आर्थिक व तकनीकी सुविधाऐं जैसे अंश पूंजी, ऋण गारन्टी तथा अनुदान आदि उपलब्ध कराता है।

वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटीज अधिनियम में व्यापक संशोधन किए जाकर कृषि साख सहकारी संरचना को एक मजबूत व्यवसायिक आधार दिया गया है। वर्तमान में सहकारिता सामाजिक स्तर विन्यास के उन्नयन व अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का कार्य सक्षमता के साथ कर रही है।

1904 में जब सहकारी संस्था अधिनियम पारित हुआ तब होशंगाबाद जिले में सहकारी साखा आंदोलनका प्रारम्भ हुआ और छह सहकारी संस्थाए गठित की गई । इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी ,हरदा नगरीय बैंक यह एक सीमित दायित्व कम्पनी थी। 1907 में उसकी पूंजी और सदस्यता क्रमशः 10400 तथा 89 थी। हरदा नगरीय बैंक की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य छोटे व्यापारियों की वित्त सहायता देना और ग्रामीण बैंक स्थापित करने के लिए पूंजी देना था इनकी संख्या दो थी।[4] 1904 में सर्वप्रथम वर्तमान हरदा जिले के ग्राम सोडलपुर में गुर्जर संत कान्हा बाबा संस्था का गठन गुर्जर समुदाय के लोगों ने किया था इसमें 60 सदस्य थे व कुल पूंजी 1750 रू थी। गुर्जर समुदाय ने सहकारिता में बढ़चढकर हिस्सा लिया। इसके बाद जिले के दूसरे समुदायों ने सहकारिता को अपनाकर कृषि सहकारी संस्थाओं में भागीदारी की गुर्जर समुदाय के कृषक मार्केटिंग सोसायटी एवं विपणन सहकारी सस्थाओं के शेयर क्रय कर उनके भी सदस्य बने।

सहकारी केन्द्रीय बैंक का गठन :–

वर्तमान हरदा जिले में सहकारी साख आंदोलन जब शुरू हुआ था तब अकाल और ऋण समझौतों के कारण साख की पुरानी पद्वति साहूकारी के दोषों को लोग जान चुके थे कुछ साहूकारों ने भी सहकारिता में रूचि ली। सहकारिता के वढ़ते कार्य क्षेत्र को देखकर अधिक वित्त सहायता एजेन्सियों की स्थापना हुई।[5] तत्कालीन होशंगाबाद जिले में वर्ष 1912 में हरदा होशंगाबाद व सोहागपुर तहसील में तीन सेंट्रल बैंक स्थापित किए गए। सन् 1912 में सहकारी संस्था अधिनियम में संशोधन के बाद संस्था के सदस्यों से सेंट्रल बैंक से हिस्सा खरीदने (शेयर) तथा ब्याज की दर में कमी करने के लिए संस्थाओं की रक्षित निधियों (Fix deposit) का उपयोग किया जाना प्रारम्भ हुआ। सन् 1967 में ये तीनो बैंक एकत्र कर दिए गए और हरदा केन्द्रीय सहकारी बैंक बना जिसका मुख्यालय होशंगाबाद था। हरदा सहकारी केन्द्रीय बैंक ने अच्छी प्रगति की वर्ष 1970–71 में बैंक के कार्यशील पूंजी 121.76 लाख व दिया गया ऋण 73.06 लाख हो गया था। 1309 सदस्य हरदा सहकारी केन्द्रीय बैंक होशंगाबाद के सदस्य थे।

सहकारी समितियों में गुर्जरों की भागीदारी :–

[6]हरदा सहकारी केन्द्रीय बैंक के गठन के 50 वर्ष पश्चात् वर्तमान में सहकारी समितियों बैंको में खोले गए खातों की संख्या 2615979 तथा जमा पूंजी 43506688 है। सहकारी संस्थाओं में लोगों ने गाँव–गाँव में भागीदारी कर वर्तमान में बीज सहकारी संस्थाऐं भी बनाई है। गुर्जर समुदाय के किसानों ने मिलकर 7–8 सहकारी सस्थाओं का गठन किया है व संचालित कर रहे हैं । हरदा जिले में 52 कृषि संस्थाऐं (पैक्स) हैं , जिसमें 32 संस्थाओं में गुर्जर समुदाय की भागीदारी है । गुर्जर कृषक इन संस्थाओं के अंश धारक हैं। शोध में यह देखने को मिला कि जिल सहकारी संस्थाओं का संचालन गुर्जर कृषक कर रहे है। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी और संचालन सुव्यवस्थित है। गुर्जर समुदाय के कृषकों से जिन समितियों के संचालक मंडल में है वे कम हानि उठाती है। कुछ समितियों में यह भी देखने को मिला कि गुर्जर समुदाय के कृषकों का NPA सूची अत्यधिक कम है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा टिमरनी में जब चर्चा की गई तो पाया गया कि एक भी गुर्जर कृषक गवन करने वाला ग्राहक बैंक की शाखा में नहीं है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, होशंगाबाद मुख्य शाखा हरदा से जब गबन करने वाले कृषकों की जानकारी ली गई तो पाया गया कि जिले में जो अन्य कृषक जातियाँ जो संख्या में गुर्जरो के लगभग बराबर है उनकी अपेक्षा गुर्जर ऋण न चुकाने वाले कृषकों की संख्या बहुत ही कम थी।

मुखिया की आयु ,लिंग व सहकारी समिति की सदस्यता

क्रं	आयु	लिंग		सहकारी समिति के सदस्य हैं				योग
				हॉ		नहीं		
		पुरूष	स्त्री	पुरूष	स्त्री	पुरूष	स्त्री	
1	25–34	02	0	0	0	02	0	02
2	35–44	11	05	07	02	04	03	16
3	45–54	37	04	22	02	15	02	41
4	55–64	56	09	30	06	26	03	65
5	65–74	38	13	23	08	15	05	51
6	75–84	15	07	08	06	07	01	22
7	85+	02	01	02	01	0	0	03
	योग	161	39	92	25	69	14	200

Corresponding Author : email :

International Journal of Fundamental & Applied Research
Website : www.ijfar.org ,(ISSN- 2320-7973 Volume-6+7 Issue 12+1+2, March+April+May'2019 pp.(17–19)

उपरोक्त तालिका से निम्न तथ्य प्रकट होते हैं –

1. 58.5 प्रतिशत (117) गुर्जर समुदाय के कृषक सहकारी समितियों के सदस्य हैं।
2. 41.5 प्रतिशत (83) गुर्जर समुदाय के कृषक सहकारी समितियों के सदस्य नही हैं।
3. 25 से 34 वर्ष आयु समूह के गुर्जर कृषक सहकारी समितियों के सदस्य नही हैं।
4. 35 से 44 व 45 से 54 वर्ष आयु समूह के अधिकतम गुर्जर कृषक सहकारी समितियों के सदस्य हैं।

निष्कर्ष :–

हरदा जिले के गुर्जर समुदाय के 200 कृषकों का सहकारी समिति की सदस्यता एवं भागीदारी सबंधित अध्ययन में पाया गया कि सहकारी समितियां कृषकों को कम मूल्य पर खाद बीज व कृषि यंत्र उपलब्ध कराती हैं ,आर्थिक रूप से कमजोर कृषक सहकारी समितियों से कम ब्याज पर ऋण भी लेते हैं चर्चा के दौरान पाया गया कि ऐसे कृषक जो सहकारी समिति के सदस्य नही है राष्ट्रीय बैंको से कृषि हेतु किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेते हैं। परम्परागत कृषक समुदायों में से व कृषि के मानसून पर निर्भर होने से गुर्जर कृषकों की कृषि से आय कम होने के कारण इन्हे कर्ज लेना पड़ता है। सहकारी समितियां न तो सार्वजनिक हैं और न ही लाभ प्राप्त संगठन है अतः इनके सदस्य कृषक साहूकारों के आर्थिक शोषण से बच जाते हैं।

संदर्भ सूची

1. चन्द्रनाथ झा. म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम एंव नियम
2. म.प्र. सहकारी सोसाइटी (संसोधन) अधिनियम पृ. 12
3. स्मारिका श्री भुआणा प्रांतीय गुर्जर नवयुवक संस्था क्षेत्र टिमरनी
4. ए.एम. सिन्हा म.प्र. जिला गजेटियर होशंगाबाद पेज 154
5. ए.एम सिन्हा म.प्र. जिला गजेटियर होशंगाबाद पेज 154
6. जिला गजेटियर हरदा (होशंगाबाद)

Corresponding Author : email :